जब बैसाखी बने आत्मिक जागरण का पर्व

बैसाखी भारतीय संस्कृति का एक जीवंत, उल्लासपूर्ण और प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ पर्व है। यह केवल एक मौसमी त्योहार नहीं, बल्कि नई ऊर्जा, समृद्धि और आशा का प्रतीक है। पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, फिर भी पंजाब और हरियाणा में इसका विशेष महत्व है, जहाँ यह लोगों के जीवन, परंपरा और भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह पर्व जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे, सभी को एक सूत्र में बांधने वाला उत्सव है। बैसाखी मूलतः एक कृषि पर्व है, जो हर वर्ष 13 अप्रैल (कभी-कभी 14 अप्रैल) को मनाया जाता है। जब पंजाब और हरियाणा की उपजाऊ धरती पर चैती फसल सुनहरी होकर लहलहाने लगती है, तब परिश्रमी किसान अपने अन्न-धन रूपी लक्ष्मी को देखकर हर्ष और उल्लास से भर उठता है। उसकी यही खुशी गीत, नृत्य और उत्सव के रूप में झलकती है।

बैसाखी सिख धर्म के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे पंजाब सहित देश-विदेश में बसे सिख समुदाय बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाते हैं। यह दिन सिख नववर्ष के रूप में माना जाता है और विशेष रूप से इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इसी दिन दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। साथ ही, यह दिन सिखों के लिए त्याग और बलिदान की प्रेरणा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बिकु या बिकौटी; तमिलनाडु में पुथांडु; केरल में 'विशु'द्य इनमें से कुछ त्योहार ठीक बैसाखी के दिन ही मनाए जाते हैं, जबकि कुछ एक-दो दिन के अंतराल से मनाए जाते हैं। फिर भी, इन सभी उत्सवों का मूल भाव एक ही है–प्रकृति के प्रति आभार, जीवन में नवचेतना का संचार और सामूहिक आनंद का उत्सव।

बैसाखी मुख्यतः एक कृषि पर्व है, जो हर वर्ष 13 अप्रैल (कभी-कभी 14 अप्रैल) को मनाया जाता है। जब पंजाब और हरियाणा की उपजाऊ धरती पर चैती फसल सुनहरी होकर लहलहाने लगती है, तब परिश्रमी किसान अपने अन्न-धन रूपी लक्ष्मी को देखकर हर्ष और उल्लास से भर उठता है। उसकी यही खुशी गीत, नृत्य और उत्सव के रूप में झलकती है।

बैसाखी सिख धर्म के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे पंजाब सहित देश-विदेश में बसे सिख समुदाय बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाते हैं। यह दिन सिख नववर्ष के रूप में माना जाता है और विशेष रूप से इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इसी दिन दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। साथ ही, यह दिन सिखों के लिए त्याग और बलिदान की प्रेरणा भी देता है, क्योंकि नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर किए थे, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के इस्लाम में बदलने के आदेश को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उनके दसवें गुरु के राज्याभिषेक और खालसा पंथ का गठन हुआ था।

बैसाखी के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रंग-बिरंगे मेले लगते हैं, जो इस पर्व की रौनक को और बढ़ा देते हैं। ये मेले प्रायः नदियों, नहरों, तालाबों के किनारे या मंदिर जैसे पवित्र स्थलों पर आयोजित होते हैं। एक दिन पहले ही यहाँ बाजार सजने लगता है, जहाँ मिठाइयों, चाट, फलों, खिलौनों और कपड़ों की आकर्षक दुकानों की कतारें लग जाती हैं। इन मेलों में नट, जादूगर और बाजीगर अपनी कला से लोगों का मनोरंजन करते हैं। साथ ही लोक-नृत्य इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होता है। गाँवों के किसान ढोल-नगाड़ों की थाप पर उत्साहपूर्वक नृत्य करते हैं–हाथों में डंडे लेकर वे उन्हें हवा में उछालते और लयबद्ध ढंग से पकड़ते हैं। 'बैसाखी आई रे' जैसे गीतों की गूंज से पूरा वातावरण आनंद और उल्लास से भर उठता है। लोग एक-दूसरे को बैसाखी की शुभकामनाएँ देते हैं, जुलूस निकालते हैं, पटाखे चलाते हैं और अपने प्रियजनों के साथ दावत का आनंद लेते हैं। वहीं दूसरी ओर, कई लोग इस अवसर को आध्यात्मिक रूप से भी मनाते हैं–भजन-कीर्तन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं और ईश्वर का स्मरण कर मन को शांति प्रदान करते हैं। इस प्रकार बैसाखी का मेला सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव का सुंदर संगम बन जाता है।

भारत वर्ष का प्रत्येक पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, परंतु हर उत्सव के पीछे एक गहन आध्यात्मिक संदेश भी निहित होता है। आज हम धीरे-धीरे उस आंतरिक अर्थ को भूलकर त्योहारों को केवल बाहरी रूप में मनाने लगे हैं। जैसे सिख समुदाय के लिए बैसाखी नए वर्ष का आरंभ है। इस दिन लोग एक-दूसरे से मिलकर शुभकामनाएँ देते हैं, नए वस्त्र धारण कर गुरुद्वारों में जाते हैं और अपने प्रियजनों के साथ आनंदपूर्वक भोजन करते हैं। निस्संदेह, इस उत्साह और उमंग के साथ पर्व मनाना सुंदर है। किन्तु वर्तमान समय में जब समस्त विश्व में चारों ओर भ्रष्टाचार, अनाचार और जीवन-मूल्यों का ह्रास दिखाई देता है, तब यह पर्व हमें आत्मचिंतन का भी अवसर देता है। नए वर्ष के इस प्रथम दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाएँ और अपने आचरण से एक मूल्यनिष्ठ, श्रेष्ठ समाज–एक नए युग की स्थापना में योगदान दें।

विशेषकर वर्तमान समय में, जब हम कलियुगी, विकारग्रस्त संसार के परिवर्तन हेतु ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव, ब्रह्मा के तन का आधार लेकर एक नई सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, तब यह पर्व हमें एक विशेष जिम्मेदारी का स्मरण कराता है। इस पावन अवसर पर हमें अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने का संकल्प लेना चाहिए और जीवन में श्रेष्ठ मूल्यों को धारण करना चाहिए। साथ ही, हमें नवयुग की स्थापना के इस महान कार्य में सहयोगी बनने का प्रयास करना चाहिए। अतः नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ-साथ, हमें सभी को नवयुग के आगमन की भी बधाई देनी चाहिए–ताकि यह उत्सव केवल उल्लास का नहीं, बल्कि सकारात्मक परिवर्तन का भी प्रतीक बन सके।

बैसाखी नई फसल की कटाई का आनंदमय पर्व है। इस दिन हम प्रकृति की कृपा और अपने परिश्रम के फल का उत्सव अवश्य मनाएँ, पर साथ ही एक गहरा आत्मचिंतन भी करें। जीवन रूपी इस धरती पर हम जैसे कर्मों के बीज बोते हैं, वैसी ही फलरूपी फसल हमें प्राप्त होती है। इसलिए इस पावन अवसर पर हमें अपने कर्मों का शांत मन से मूल्यांकन करना चाहिए और दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम विकर्मों से दूर रहकर सदैव सत्कर्मों का ही मार्ग अपनाएँगे। यही सच्चे अर्थों में बैसाखी मनाने की सार्थकता है।

ऐसा भी माना जाता है कि बैसाखी के पावन दिन भागीरथ के प्रयासों से गंगा नदी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। हम जानते हैं कि भौतिक रूप से गंगा हिमालय स्थित गंगोत्री से निकलकर विस्तृत मैदानों से होती हुई सागर में मिलती है। किन्तु इस कथा का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। वास्तव में यह बात केवल पानी की स्थूल गंगा तक सिमित नहीं है, बल्कि उस ज्ञानगंगा की ओर संकेत करती है जो वर्तमान समय में परमात्मा शिव से, ब्रह्मा के तन रूपी माध्यम द्वारा प्रवाहित हो रही है। इस आध्यात्मिक रहस्य को समझते हुए हमें इस दिन परमात्मा द्वारा प्रदान किए जा रहे ज्ञान और योग को अपने जीवन में धारण करना चाहिए।

जब हम इन गूढ़ अर्थों को समझकर बैसाखी का उत्सव मनाते हैं, तो यह केवल बाहरी आनंद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक नए, दिव्य अनुभव का द्वार खोल देता है। साथ ही, हम परमात्मा द्वारा प्रारंभ किए गए नवयुग की स्थापना के महान कार्य में भी सहयोगी बन सकते हैं। आशा है कि इस वर्ष आप बैसाखी को इन आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाएँगे और अपने जीवन में सच्चे आनंद एवं सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करेंगे।

BK Prafulchandra
San Diego, USA

आधुनिक भारत के अग्रदूत-अंबेडकर

डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता और 'आधुनिक भारत का निर्माता' माना जाता है।अंबेडकर ने कहा- 'मैं ऐसे धर्म को मानता हूं,जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का सबक सिखलाता हैं। 'अंबेडकर को अपनी योग्यता,क्षमता और कुशलता के कारण संविधान निर्माण की प्रारुप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के अनेक योग्य तथा सक्षम सदस्यों में से अंबेडकर को प्रारुप समिति में चुना जाना विद्वता का परिचय है। मसौदा समिति के सदस्य संविधान निर्माण हेतु गठित विभिन्न समितियों की रिपोर्ट का अध्ययन कर संविधान में शामिल करने के लिए सदन में पेश करते थे।अंबेडकर किसी विषय पर अपनी सहमति अथवा असहमति प्रकट करते तो युक्ति संगत तर्क प्रस्तुत करते थे।नवंबर,1948 में जब मसौदा संविधान, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया तब उसमें 315 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां शामिल थी।सदन में लंबी बहस तथा प्रत्येक धारा अथवा अनुच्छेद पर सूक्ष्म विचार-विमर्श किया गया। डॉ. अंबेडकर संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य के प्रश्नों का तर्कपूर्ण ढंग से जवाब देते जिसे सदस्य स्वीकार कर लेते थे।अंतिम रूप में संविधान को तैयार कर दो वर्ष ग्यारह माह अठारह दिन के कठोर परिश्रम के बाद 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

देश की राजनीतिक चिंतनधारा में अंबेडकर एकमात्र शख्सियत हैं,जो अस्पृश्यता जनित समस्याएं झेलकर सच्चे कर्मयोगी की भांति सदियों पुरानी समस्या पर मनन करते हैं।वे भारतीय समाज की मूलभूत विभेदकारी और असमानता वाली प्रथाओं जातिभेद, छुआछूत,अस्पृश्यता के निराकरण का संकल्प लेकर उन्मूलन करने हेतु जीवन समर्पित करते हैं।वे अस्पृश्यों के प्रति अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाकर अस्पृश्यों में आत्म-सम्मान और स्वावलंबन जगाने के लिए- शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो' का मूलमंत्र दिया।अंबेडकर ने प्रयत्नपूर्वक अस्पृश्यों को राष्ट्रीय धारा से जोड़कर आपसी सहयोग और सामाज में एकता बढाने तथा अस्पृश्य महिलाओं को दुर्गुणों से दूर रहने का संदेश दिया।उन्होंने संविधान द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय बताकर नेस्तनाबूद किया।उन्होंने नागरिकों को सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और बंधुत्व का अवसर प्रदान किया।

डॉ अंबेडकर महिला अधिकारों के अग्रदूत,सामाजिक और आर्थिक समानता के समर्थक और मानव अधिकारों के रक्षक थे।अंबेडकर मानते कि सभ्य समाज का मूल्यांकन इस बात पर निर्भर हैं कि वहां स्त्रियों का दर्जा क्या है? सही मायने में प्रजातंत्र तब सार्थक होगा जब स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिले।जब उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे तब महिलाओं की उन्नति घर परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक विकास से स्त्रियों को सामाजिक बराबरी मिलेगी।अंबेडकर प्रायः कहा करते थे कि मैं हिंदू कोड बिल पास करा कर भारत की नारियों का कल्याण करना चाहता हूं।उन्होंने पतियों द्वारा छोड़ी युवतियों, प्रौढ़ स्त्रियों को माता पिता,परिजनों संग रोते-बिलखते दयनीय दशा में देखा।हालांकि बाबा साहेब के जीवनकाल में हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ किंतु बाद में अलग-अलग भागों- हिंदू विवाह कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून और हिंदू गुजारा एवं गोद कानून के रुप में अलग-अलग नामों से पारित हुआ जो समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देता है।

अंबेडकर एक विख्यात राजनेता, विधिवेत्ता एवं संविधान विशेषज्ञ थे। वे राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन और सामाजिक शांति तथा जनता के विभिन्न वर्गों के बीच न्याय और व्यवहार के लिए विधि के शासन को सर्वोपरि मानते। उनके मत में कानून समानता और स्वाधीनता का रक्षक है। कानून सरकार, समाज और राष्ट्र की कार्यकारी सत्ता को नियंत्रित करता है।यह नागरिकों को सीमाओं में बांधता है।अंबेडकर के अनुसार कानून को केवल दंड देकर लागू नहीं बल्कि शिक्षा और सामाजिक भावना के आधार पर लागू किया जाना चाहिए।

डॉ भीमराव अंबेडकर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के प्रबल समर्थक थे।आरंभ में उन्होंने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया किंतु बाद में संसदीय शासन प्रणाली के प्रबल समर्थक बन गये। डॉ.अंबेडकर ने भारत की विशिष्ट परिस्थितियां को देखकर कुछ बदलावों के साथ संघात्मक व्यवस्था से जुड़ी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जबकि ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था से संबंधित संसदीय प्रणाली विद्यमान थी।

अमेरिकी प्रवास के दौरान समाजवादी विचारधारा का गहन अध्ययन कर उन्होंने जाना कि समाजवाद लोगों को दबाव और शोषण से बचाने वाली शक्ति है।समाज के प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था देने वाला समाजवाद उपयोगी है।बिना समाजवाद के स्वतंत्रता का सही लाभ नहीं उठाया जा सकता।सामाजिक एकता और आर्थिक समृद्धि के बिना लोकतंत्र का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। जनतंत्र की सुदृढ़ता के लिए लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार जरुरी है।जो लोग समाजवादी आदर्शों तथा मूल्यों के विरुद्ध है उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति नहीं आनी चाहिए।यदि संकीर्ण लोगों को शासन मिल जाएगा तो समाजवाद संभव नहीं हो सकता तथा लोगों को शोषण, अन्याय से सुरक्षा नहीं मिल सकती है।वह राज्य के उत्पादन व वितरण के साधनों का समाज में समान वितरण करना चाहते थे।

डॉ.भीमराव अंबेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जोरदार समर्थन किया। इस सिद्धांत का समर्थन करने का मुख्य कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित करना था। उनके मत में न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखा जायें ताकि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं हो।स्वतंत्र न्यायपालिका बिना किसी दबाव में निष्पक्षता पूर्वक दायित्व निर्वहन करती है। इससे जनसाधारण में न्यायपालिका के प्रति सम्मान बढ़ता है ।स्वस्थ लोकतंत्र के लिए,अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका अभिभावक हैं।

अंबेडकर देश के प्राचीन इतिहास और कमजोरियों से परिचित थे।उनके विचार में जब-जब देश की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तब विदेशी आक्रांताओं ने देश को गुलाम बनाया है। इसलिए अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत में शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का समर्थन किया जो देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने में सक्षम है।डॉ आंबेडकर दलितों और अल्पसंख्यकों के मसीहा थे। समाज के शोषित,पिछड़े,दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के हित तभी सुरक्षित रह सकेंगे जब केंद्रीय सरकार सक्षम,मजबूत होगी। वे शक्तिशाली केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं किंतु केंद्र को असीमित शक्तियां नहीं सौंपते। अंबेडकर केंद्र की शक्तियों पर न्यायपालिका और विधायिका के नियंत्रण को स्वीकार करते ताकि केंद्र निरंकुश ना बन जाए।

अंबेडकर ने तटस्थ नौकरशाही का समर्थन किया है। तटस्थ नौकरशाही से अभिप्राय-ऐसी नौकरशाही जो बिना दबाव के निष्पक्ष होकर कार्यपालिका को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करती है। सरकारें और मंत्री बदलेंगे किंतु प्रशासन का संचालन नौकरशाही करती है।अंबेडकर के मत में नौकरशाही तटस्थ होकर कार्य करेगी तो सामाजिक, आर्थिक विकास की गति बढ़ जाएगी। यदि नौकरशाही को वचनबद्ध कर कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप किया जायेगा तो वह कार्यपालिका के हाथों की कठपुतली बन जावेगी।ऐसी नौकरशाही से हम सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र की आशा नहीं कर सकते हैं। अतः अंबेडकर ने तटस्थ नौकरशाही की आवश्यकता पर बल दिया था।

डॉ अंबेडकर के साहित्य में अस्पृश्यों के उद्गम का विवेचन मिलता है।उन्होंने जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म के पतन का कारण माना है।उनके मत में हिंदू धर्म ग्रंथों की जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था अस्पृश्यता के लिए जिम्मेदार है।समाज में अस्पृश्यता निवारण के लिए जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन जरुरी है।अंबेडकर कहते हैं जाति का नाश ही समानता को सुनिश्चित करता है।उन्होंने जाति- उन्मूलन के लिए-वर्ण व्यवस्था,अंतरजातीय विवाह एवं पुरोहिताई के लोकतंत्रीकरण सुझाव दिया है।

अंबेडकर उच्च कोटि के शिक्षाविद थे।अतः उन्होंने दलित वर्ग की शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किये।उन्होंने दलित वर्ग को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति देने और दलित वर्ग को उच्च शिक्षा हेतु विदेशों में भेजने का समर्थन किया।उन्होंने 1945 में जनता शिक्षा समाज नामक संस्था का गठन किया। इस संस्था ने दलितों के शिक्षण हेतु अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की।बचपन में छुआछूत शिकार होने के कारण उनके जीवन का अधिकांश समय संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। अंबेडकर देश के महान व्यक्तित्व और विश्व विभूति के रूप में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

हरीश सुवासिया
आर.ई.एस.
देवली कलां
व्यावर

भीमराव अम्बेडकर : वर्तमान में प्रासंगिकता

भारत के संविधान निर्माता,चिंतक और समाज सुधारक डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई रामजी सकपाल था। वे अपने माता-पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे।

वर्तमान में प्रासंगिकता–आर्थिक क्षेत्र : दरअसल आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी, बेरोजगारी, आय एवं संपत्ति में व्यापक असमानता, अशिक्षा और अकुशल श्रम इत्यादि समस्याएँ व्याप्त हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर डॉ. अम्बेडकर के महत्वपूर्ण विचार को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

उन्होंने भारतीय कृषि तंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकाले, जिनकी प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। उनका मानना था कि यदि कृषि को अन्य आर्थिक उद्यमों के समान माना जाए तो बड़ी और छोटी जोतों का भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में खुशहाली आएगी।भारत में आर्थिक नियोजन तथा समकालीन आर्थिक मुद्दें व दीर्घकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिन संस्थानों को स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया उनकी स्थापना में डॉ. अम्बेडकर का अहम योगदान रहा।

शिक्षा क्षेत्र :डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा संबंधित यह विचार आज शिक्षा प्रणाली के आदर्श रूप माने जाते हैं। उन्हीं के विचारों का प्रभाव है कि आज संविधान में शिक्षा के प्रसार में जातिगत, भौगोलिक व आर्थिक असमानताएँ बाधक न बन सके,इसके लिए मूलअधिकार के अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है,जो उनकी प्रासंगिकता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करती है।

सामाजिक क्षेत्र : अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का विशद अध्ययन कर यह बताने की चेष्टा भी की कि भारतीय समाज में वर्ण-व्यवस्था, जाति-प्रथा तथा अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में कालान्तर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई है, न कि यह यहाँ के समाज में प्रारम्भ से ही विद्यमान थी।

सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाये नहीं जा सकते जिसकी प्रासंगिकता आज तक जीवंत है। सामाजिक क्षेत्र में उनके विचारों की प्रासंगिकता को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, संकीर्ण तथा गरिमाहीन बताते हुए इसकी कटु आलोचना की थी। अम्बेडकर का मत था कि समूह तथा कमजोर वर्गों में जितना उग्र संघर्ष भारत में है, वैसा विश्व के किसी अन्य देशों में नहीं है। पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिये खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिये भी संघर्ष किया।

महिलाओं के क्षेत्र : डॉअम्बेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा को लेकर काफी चिंतित वहीं आज भी महिलाएँ उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव हिंसा, समान कार्य के लिए असमान वेतन, दहेज उत्पीड़न और संपत्ति के अधिकार ना मिलने जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं।इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता का प्रश्न पुनः उठाया गया है।

अधिकारों के क्षेत्र : डॉ. अम्बेडकर अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों पर बल देते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति को न सिर्फ अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए, अपितु उसके लिए प्रयत्नशील भी होना चाहिए, लेकिन हमें इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि इन अधिकारों के साथ-साथ हमारा देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी है।

श्रमिक वर्ग के लिए कार्य : बाबा साहेब सिर्फ अछूतों, महिलाओं के अधिकार के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के पुनर्निर्माण के लिए भी प्रयासरत रहे। उन्होंने मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किये। पहले मजदूरों से प्रतिदिन 12-14 घंटों तक काम लिया जाता था। इनके प्रयासों से प्रतिदिन आठ घंटे काम करने का नियम पारित हुआ।

इसके अलावा उनके प्रयासों से मजदूरों के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा मुआवजा आदि से भी सुधार हुए। उल्लेखनीय है कि उन्होंने मजदूरों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान के लगभग ज्यादातर श्रम कानून बाबा साहेब के ही बनाए हुए हैं, जो उनके विचारों को जीवंतता प्रदान करते हैं।

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अम्बेडकर के सामाजिक चिन्तन में अस्पृश्यों, दलितों तथा शोषित वर्गों के उत्थान के लिए काफी संभावना झलकती है। वे उनके उत्थान के माध्यम से एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे, जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व के तत्व समाज के आधारभूत सिद्धांत हों।

अगर इनके विचारों को अमल में लायें तो समाज की ज्यादातर समस्याएँ जैसे वर्ण, जाति, लिंग, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक सभी पहलुओं पर पैनी नजर रखी जा सकती है। साथ ही न्यू इंडिया के लिए एक नया मॉडल व डिजाइन भी तैयार किया जा सकता है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की कुछ विशिष्ठ जानकारी : डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में जिन तीन महापुरुषों को अपना गुरु माना, वे हैं: भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीर दास, और महात्मा ज्योतिबा फूले। उन्होंने इन तीनों की विचारधारा और शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता और न्याय के लिए समर्पित कर दिया।

अंबेडकर के तीन शब्द हैं, 'शिक्षित करो, आंदोलन करो, संगठित करो।' ये शब्द सामाजिक सशक्तिकरण और सामूहिक प्रगति के प्रति उनके दृष्टिकोण का सार प्रस्तुत करते हैं।

राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार के आगे कुछ भी नहीं है और समाज का विरोध करने वाला सुधारक सरकार का विरोध करने वाले राजनेता से कहीं अधिक साहसी होता है ।

उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों (दलितों) के प्रति होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे।

शिक्षाः बचपन से ही भेदभाव झेलने के बावजूद, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय (स्नाष्ठ) और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की।

सामाजिक आंदोलन: उन्होंने दलितों के लिए 'मूकनायक' (1920) नामक अखबार शुरू किया और 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने छुआछूत और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई।

संविधान निर्माता: 1947 में भारत की आजादी के बाद, वे पहले कानून मंत्री बने और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भारत का संविधान तैयार किया।

धर्म परिवर्तन: जीवन के अंतिम समय में, उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों के कारण 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया।

मृत्यु: 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हुआ, जिसे 'महापरिनिर्वाण दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

सम्मान: उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।

डॉ घनश्याम ठाकुर
104 , महादेव तोतला नगर , इंदौर
डॉ.घनश्याम ठाकुर